न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 91/2020
GCMSNo.- : 2020/00214

–: वादीगण :–

1. अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति– रेगर, निवासी– अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला– अजेमर (राज.)
2. महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर जाति– कोली, निवासी– शिव कॉलोनी नगरा अजमेर, जिला– अजमेर।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. भंवरी देवी पत्नी नाथा उर्फ नाथूराम
2. कैलाशचन्द पुत्र नाथा उर्फ नाथूराम
3. दुर्गा पुत्र गेना
4. पुसा पुत्र भगवान
5. छोटू पुत्र धना
6. हंजा बेवा धना
7. भीका गोद हजारी
8. प्रभू पुत्र केसा
9. बगदू पुत्र भंवरु
10. प्रकाश पुत्र भंवरु
11. प्रहलाद पुत्र भंवरु
12. शान्ति बेवा भंवरु
13. मोतीलाल पुत्र आलिया
14. सोहनलाल पुत्र आलिया
15. रेशमी पुत्री आलिया
16. नेमा पुत्री आलिया
17. गजराई पुत्री आलिया
 जातियान– भाम्बी, निवासीगण– भींवगढ़, तहसील– जैतारण, जिला पाली।
18. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — **तारीख रजू:.07/10/2020**

उपस्थित:. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।

–:: निर्णय ::– — **दिनॉक:– 24/06/2021**

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी[illegible] आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम [illegible] अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 2240/12 रकबा 6 बीघा 00 बिस्वा किस्म बारानी कच्छार दोयम बापी की [illegible]ई हुई है। उक्त खसरे की भूमि में वादीगण 1/18 हिस्से यानि 0 बीघा 06 बिस्वा 14 बिस्वांसीभूमिपर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त हैमगर वादीगण व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है। तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगण की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादीगण को हर समय उनके हक हिस्से की भुमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 1/18 हिस्से यानि 0 बीघा 06 बिस्वा 14 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादीगण का अलग सें कब्जा व काश्त हैवादीगणने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 06.08.2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई काननी अधिकार नही है। वादीगण अपनी भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने का अधिकारी है, इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद तकास्मा आराजी वादीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडगे। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिंडिंग्स होगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार मेथी पत्नी केसा फोत हो चुकी है। मेथी के वारिस प्रभू पुत्र केसा है। जो इस वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार भी है। जिसको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 9 के रुप में पक्षकार बनाया गया है। मेथी पत्नी केसा के ओर कोई विधिक वारिसान नही है। इसी प्रकार सह खातेदार आलिया पुत्र जगरुप फोत हो चुका है। आलिया पुत्र जगरुप के विधिक वारिस मोतीलाल पुत्र आलिया,सोहनलाल पुत्र आलिया,रेशमी पुत्री आलिया,नेमा पुत्री आलिया, गजराई पुत्री आलिया है। जिनको

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वादग्रस्त भूमि के इस वाद में प्रतिवादी संख्या 14 से 18 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। आलिया पुत्र जगरूप के ओर कोई विधिक वारिसान नही है। प्रतिवादी संख्या 19तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 06.08.2020 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमिका बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करनेएवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीगण को उनके हक हिस्से व कब्जे की भुमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम भींवगढ (रास) तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ, जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या 01 से 19 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वादी का साक्ष्य शपथ पत्र P/W 01 पेश किया, प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम भींवगढ सम्वत् 2072-2075 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 2240/12 में वादीगण के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2240/12 रकबा 6 बीघा 00 बिस्वा किस्म बारानी कच्छार दोयम बापी में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2020/1196 दिनांक 29/12/2020 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/1255 दिनांक 03/06/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ता[illegible]जरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के [illegible] रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का [illegible] डिक्री किया [illegible] बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, [illegible] वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:17 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2240/12 रकबा 6 बीघा 00 बिस्वा किस्म बारानी कच्छार दोयम बापी भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म	लगान
1	अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया कौम रेगर सा.अम्बडेकर कोलोनी ,राजमहल होटल के पीछे ब्यावर जिला–अजमेर खातेदारहि. 1/2,महावीर प्रसाद पुत्र गौरी श्शंकर कौम कोली सा.शिव कॉलोनी नगर,अजमेर जिला–अजमेर हि.1/2 खातेदार।	2240/12	0–06	कच्छार दोयम बापी	0.60
2	भंवरीदेवी पत्नि नाथा उर्फ नाथूराम हि. 1/170,कैलाशचन्द पुत्र नाथा उर्फ नाथूराम हि.4/170,दुर्गाराम पुत्र गेनाहि. 5/170,बिरदा पुत्र मंगलाराम हि. 15/170,पुसाराम पुत्र भगवान हि. 15/170,छोटु पुत्र धन्ना हि. 5/170,हंजा पत्नि धन्ना 5/170,भीकाराम गोद हजारी हि. 20/170,प्रभुराम पुत्र केसाराम हि. 10/170,मेताबी पत्नि केसाराम हि. 10/170 हि.10/170,बगदु पुत्र भंवरू हि.15/170,प्रकाश पुत्र भंवरू हि. 15/170,प्रहलाद पुत्र भंवरू हि. 15/170,शांति पत्नि भंवरू हि. 15/170,मोतीलाल पुत्र आलीया हि. 4/170,सोहनलाल पुत्र आलिया हि. 4/170,रेशमी पुत्री आलीया 4/170,नेमा पुत्री आलीया हि. 4/170,गजराई पुत्री आलीया हि. 4/170,कौम भांबी सा.देह खातेदार।	2240/15	5–14	कच्छार दोयम बापी	11.40

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 24/06/2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रुल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

वादीगण:

1. अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति- रेगर, निवासी- अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला- अजेमर (राज.)
2. महावीर प्रसाद पुत्र गोरीशंकर जाति- कोली, निवासी- शिव कॉलोनी नगरा अजमेर, जिला- अजमेर।

प्रतिवादीगण:

1. भंवरी देवी पत्नी नाथा उर्फ नाथूराम
2. कैलाशचन्द पुत्र नाथा उर्फ नाथूराम
3. दुर्गा पुत्र गेना
4. पुसा पुत्र भगवान
5. छोटू पुत्र धना
6. हंजा बेवा धना
7. भीका गोद हजारी
8. प्रभू पुत्र केसा
9. बगदू पुत्र भंवरु
10. प्रकाश पुत्र भंवरु
11. प्रहलाद पुत्र भंवरु
12. शान्ति बेवा भंवरु
13. मोतीलाल पुत्र आलिया
14. सोहनलाल पुत्र आलिया
15. रेशमी पुत्री आलिया
16. नेमा पुत्री आलिया
17. गजराई पुत्री आलिया जातियान- भाम्बी, निवासीगण- भींवगढ़, तहसील- जैतारण, जिला पाली।
18. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 91/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम भींवगढ पट्वार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2240 रकबा 6 बीघा 00 बिस्वा किस्म बारानी कच्छार दोयम बापी भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँट्वाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:17 IST
Reason: SelfAttested

क. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बिस्वा	किस्म	लगान
1	अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया कौम रेगर सा.अम्बडेकर कोलोनी ,राजमहल होटल के पीछे	2240/12	0-06	कच्छार दोयम बापी	0.60

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

	ब्यावर जिला-अजमेर खातेदारहि. 1/2,महावीर प्रसाद पुत्र गौरी श्शंकर कौम कोली सा.शिव कॉलोनी नगर,अजमेर जिला-अजमेर हि.1/2 खातेदार।				
2	भंवरीदेवी पत्नि नाथा उर्फ नाथूराम हि. 1/170,कैलाशचन्द पुत्र नाथा उर्फ नाथूराम हि.4/170,दुर्गाराम पुत्र गेनाहि. 5/170,बिरदा पुत्र मंगलाराम हि. 15/170,पुसाराम पुत्र भगवान हि. 15/170,छोटु पुत्र धन्ना हि. 5/170,हंजा पत्नि धन्ना 5/170,भीकाराम गोद हजारी हि. 20/170,प्रभुराम पुत्र केसाराम हि. 10/170,मेताबी पत्नि केसाराम हि. 10/170 हि.10/170,बगदु पुत्र भंवरू हि.15/170,प्रकाश पुत्र भंवरू हि. 15/170,प्रहलाद पुत्र भंवरू हि. 15/170,शांति पत्नि भंवरू हि. 15/170,मोतीलाल पुत्र आलीया हि. 4/170,सोहनलाल पुत्र आलिया हि. 4/170,रेशमी पुत्री आलीया 4/170,नेमा पुत्री आलीया हि. 4/170,गजराई पुत्री आलीया हि. 4/170,कौम भांबी सा.देह खातेदार।	2240/15	5-14	कच्छार दोयम बापी	11.40

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ..-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **24/06/2021** को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	[illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	04	00	फीस कमीशनर	/	
फीस कमीशनर	/		बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान:-	07	00	मिजान:-	-Nil-	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:01:17 IST
Reason: SelfAttested

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।